भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2971

गुरूवार, 13 अगस्त, 2026/22 श्रावण, 1948 (शक)

ईपीएफओ के तहत सीपीपीएस

2971 # श्रीमती माया नारोलिया:

श्री मदन राठौड़:

श्री बाबू राम निषाद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रणाली के अंतर्गत पेंशन संवितरण को सुव्यवस्थित करने तथा पेंशनभोगियों हेतु सुगम्यता में सुधार करने में प्राप्त हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश भर में डिजिटल प्रक्रमण, शिकायत निवारण और निर्बाध पेंशन भुगतान को सुदृढ़ करने हेतु कोई उपाय किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सीपीपीएस ईपीएफओ पेंशनभोगियों हेतु सेवा प्रदायगी और जीवन-यापन की सुगमता में सुधार करने में किस प्रकार योगदान दे रहा है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): जी हाँ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अधीन केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को जनवरी 2025 में लागू किया गया था।

पेंशन अब केंद्रीकृत तरीके से एनपीसीआई के एनएसीएच प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे पेंशनभोगियों के बैंक खातों में संवितरित की जा रही है।

यह पहल पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से निर्बाध रूप से अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाती है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) में, पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होती है और पेंशन जारी होने के तुरंत बाद खाते में जमा (क्रेडिट) कर दी जाती है। मासिक पेंशन भुगतान प्रत्येक माह के अंतिम चार दिनों के दौरान संसाधित किया जाता है, जिससे महीने के अंत तक लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के कार्यान्वयन ने पेंशन संवितरण प्रक्रिया को प्रभावी रूप से सुव्यवस्थित किया है और पेंशन भुगतान में दक्षता, पारदर्शिता तथा समयबद्धता को बढ़ाया है।

इसके अतिरिक्त, ईपीएफओ के पास सदस्यों के साथ-साथ पेंशनभोगियों से शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए 'ईपीएफआईजीएमएस' नामक एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रणाली है।
